क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

भीम BHIM भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–208 /

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जे.आर. ग्रेनाईटस, रेफरेंस संख्या 20211000039599 ग्राम ढोला का खेड़ा और आमली सूख द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर संख्या 44 खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	रेफरेंस संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स जे.आर. ग्रेनाईटस, खसरा संख्या 881, 885, 886, 887/1 एवं 887/3	20211000039599	1.7765	ढोला का खेड़ा	ग्रेनाईट	210000
2	श्री अशोक कुमार मीणा	2018100001231	1.9449	आमली सूख	ग्रेनाईट	145000
3	मैसर्स भगवती माइन्स	2018100001315	1.1342	आमली सूख	ग्रेनाईट	135000
4	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री सीताराम	20191000015354	1.1812	ढोला का खेड़ा	ग्रेनाईट	135979.2

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.0368 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–625979.2 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम ढोला का खेड़ा और आमली सूख, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स जे.आर. ग्रेनाईटस, रेफरेंस संख्या 20211000039599 ग्राम ढोला का खेड़ा और आमली सूख** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, धोली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण / 2022 / 15885 दिनांक 02.11.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 16 / 12 / 2022** को **दोपहर 12:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम धोली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी